

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3365/2026

Bagga Singh S/o Laxman Singh, Aged About 40 Years, R/o
Nirvana Police Station Suratgarh Sadar, District Sri Ganganagar
(Lodged In Sub Jail, Suratgarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Ms. Rajni Kaushik
For Respondent(s)	: Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— **सूरतगढ़ सदर, जिला—गंगानगर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **269/2024** अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 329(3), 191(2), 191(3), 190 व 324(4) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में धारा 126(2), 115(2), 329(3), 191(2), 191(3), 190 व 324(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं है, अन्य सहअभियुक्तगण की जमानत याचिका पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 173(8) के अंतर्गत प्रकरण अनुसंधानाधीन रहा है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों एवं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। अन्य सहअभियुक्तगण की जमानत याचिका पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बग्गासिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J